



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST-02/OLand/4/2021-ESDW

दिनांक: 03.01.2023

सेवा में,

श्री उमेश गोंड,
पिता- स्व. भगन उर्फ भगवान,
ग्राम- कुडवा, थाना- कौन,
जिला- सोनभद्र
उत्तर प्रदेश


विषय: अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने, मकान निर्माण करने एवं उनकी भूमि के कथित गैर कानूनी हस्तांतरण के संबंध में- श्री उमेश गोंड, पिता- स्व. भगन उर्फ भगवान, ग्राम- कुडवा, थाना- कौन, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) का दिनांक 06.09.2021 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 11.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी